


## ॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक: व-15(1)पुलिस/ए/गोपनीय/09/3598 दिनांक :16/10/2009

### संशोधन

पुलिस मुख्यालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जारी एक बुकलेट/ मेनुअल के पृष्ठ संख्या 13 के बिन्दु संख्या 9 - शीर्षक अपील के अन्तर्गत 1 पर उल्लेखित अपील अधिकारी - अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशासन) राजस्थान के स्थान पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान पढ़ा जावे ।


उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से क्रियाशील होंगे ।

  
(हरीश चन्द्र मीना)  
महानिदेशक पुलिस  
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1) समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान ।
- 2) समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान मय रेल्वेज ।
- 3) समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान ।
- 4) समस्त पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान मय रेल्वेज ।
- 5) समस्त कमाण्डेन्ट्स, आरएसी बटा./ एमबीसी/ पीटीएस/ एमडीएस बीकानेर ।
- 6) समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण (जिला मुख्यालय पर पदस्थापित)
- 7) संयुक्त निदेशक (प्रचार), सीआईडी, सीबी, राजस्थान, जयपुर ।
- 8) समस्त वृत्ताधिकारी पुलिस राजस्थान ।
- 9) प्रभारी, राज्य नियंत्रण कक्ष, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर ।
- 10) प्रभारी, वेबसाईट प्रकोष्ठ, पुलिस दूरसंचार, घाटगेट, जयपुर को उपरोक्तानुसार वेबसाईट upload करने हेतु ।

प्रतिलिपि : उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 9(23)ग्रुप-5/2005 दिनांक 16.09.2005 एवं इस कार्यालय के परिपत्र संख्या व-15ख(58)सीआईडी/सीबी/विधि/2005/12694 दिनांक 01.12.200 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

  
महानिदेशक पुलिस  
राजस्थान, जयपुर ।